न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–10/2024–25

प्रथम पक्षः– बालो यादव एवं अन्य(कुल–03), सभी साकिन–गड़के, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः– टहल यादव एवं अन्य (कुल–06) सभी साकिन–गड़के, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–बालो यादव एवं अन्य(कुल–03), सभी साकिन–गड़के, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में प्रथम पक्ष बालो यादव एवं अन्य (कुल–03) साकिन–गड़के, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा है एवं द्वितीय पक्ष टहल यादव एवं अन्य (कुल–06) सभी साकिन–गड़के, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा है। इस न्यायालय में संधारित वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	अभ्युक्ति
गड़के	07	66, 68, 279, 439 एवं 463	कुल–2.92 ए0	

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया किः–

(2.1) यह कि प्रश्नगत् भू–खण्ड प्रथम पक्ष के नानी मसो0 गेन्दिया देवी के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा पंजी–2 में पृष्ठ सं0–7/1 पर जमाबंदी कायम है एवं वर्ष–2000 ई0 तक ऑफलाईन लगान रसीद निर्गत है, दखल–कब्जा भी कायम है।

(2.2) यह कि सर्वे रैयत गेन्दिया देवी की एक मात्र पुत्री बिमला देवी हुई इनका विवाह नेमन यादव के साथ हुआ था, इनके तीन पुत्र 01. बालो यादव 02. ललधारी यादव 03. जगदीश यादव हुए जो इस वाद में प्रथम पक्ष हैं। प्रश्नगत् भू–खण्ड पर इनका दखल–कब्जा है तथा कृषि कार्य करते आ रहे है।

(2.3) यह कि वर्त्तमान में प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत् भू–खण्ड का ऑनलाईन पंजी–2 का जाँच किया गया तो पाया गया कि पंजी–2 में हमारे नानी गेन्दिया देवी के साथ खिरोधर महतो पिता–मोहित महतो का भी नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि आवेदक, आवेदक के पिता या सर्वे रैयत गेन्दिया देवी के द्वारा कभी भी प्रश्नगत् भू–खण्ड की विक्री/हस्तांतरण द्वितीय पक्ष को नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा पंजी–2 में छेड़–छाड़ कर अपना नाम चढ़ा कर जमाबंदी कायम करवा लिया गया है।

(2.4) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित कथत के पारा 05 में वर्णित है कि खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–66 रकवा–1.19 ए0 भूमि उनकी है तथा उसी पारा में यह भी उल्लेखित है कि खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–66, रकवा–1.04 ए0 भूमि है

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार प्लॉट संख्या–66 में कुल रकवा–2.23 ए0 हुआ जो कि अपने आप में विरोधाभासी एवं वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न है। जबकि सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या–07 अंतर्गत प्लॉट संख्या–66 कुल रकवा– मात्र–0.19 ए0 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का दावा निराधार है एंव खारिज करने योग्य है।

(2.5) यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मसो0 गन्दिया देवी के नाम से रकबा–2.92 ए0 भूमि का फर्जी एवं जाली कागजात के आधार पर अंचल कार्यालय को अपने मेल मिलाकर अवैध जमाबंदी कायम करवाकर प्रथम पक्ष को प्रश्नगत् भू–खण्ड से बेदखल करना चाहते है। अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष के अवैध नाम को हटाते हुए प्रथम पक्ष के जमाबंदी को यथावत् रखने की कृपा करें।

(2.6) प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में : 1. क्रमिक खतियान की प्रति 2. ऑफलाईन लगान रसीद 3. ऑनलाईन पंजी–2 प्रति 4. ऑफलाईन पंजी–2 की प्रति

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(3.1) यह कि प्रथम पक्ष के आवेदन में खाता संख्या–06 दर्शाया गया है जो बिल्कुल गलत है खाता संख्या–06 पर कोई भी विवाद नहीं है और न ही खाता संख्या–06 मसो0 गेन्दिया देवी, के नाम से है प्रथम पक्ष के आवेदन के पारा दो में खाता संख्या–07 के साथ प्लॉट एवं रकवा नहीं दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस प्लॉट में कितना रकवा है। यह बात सत्य है कि मौजा गड़के अन्तर्गत खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–66,68,279,439 एवं 463 कुल रकवा–2.92 ए0 भूमि सर्वे खतियान में मसो0 गेन्दिया देवी के नाम से दर्ज है।

(3.2) यह कि प्रथम पक्ष की नानी मसो0 गेन्दिया देवी, के पति का पूर्व में ही निधन हो गया था उनका कोई पुत्र नहीं था उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था जिसके कारण गेन्दिया देवी, अस्वस्थ रहने लगी इलाज कराने हेतु उनके पास पैसा नहीं रहने के कारण प्रश्नगत भू–खण्ड के कुल रकवा–2.92 ए0 भूमि में से 2.75 ए0 भूमि दिनांक–16.03.1960 ई0 को खिरोधर महतो वल्द थनु महतो, साकिन–गनडकी, थाना–ईटखोरी, जिला–हजारीबाग वर्तमान जिला–चतरा को केवाला के माध्यम से बिक्री कर दिया गया था, उसी समय से द्वितीय पक्ष खरिदगी भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा कृषि कार्य करते आ रहे है।

(3.3) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड केवाला से प्राप्त होने के उपरान्त अंचल कार्यालय, में दाखिल–खारिज कराने हेतु आवेदन किया गया। आवेदन के जाँचोंप्रान्त जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया। इसे भूमि पर द्वितीय पक्ष को सरकारी इन्दिरा आवास का आवंटन हुआ था, जिसका निर्माण कर द्वितीय पक्ष अपने परिवार के साथ वसोवास करते चले आ रहे है। प्रश्नगत भू–खण्ड पर इन्दिरा आवास आवंटित एवं निर्माण होना दर्शाता है कि भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत कर वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त करने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

(3.4) द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में : 1. केवाला के छाया प्रति 2. केवाला का हिन्दी रूपान्तरण की छायाप्रति 3. लगान रसीद की छायाप्रति 4. सरकार द्वारा स्वीकृत इन्दिरा आवास का कागजात 5. सरकार द्वारा लगाये गये चापाकल का प्रमाण –पत्र 6. पंजी–2 की छाया प्रति।

4. अंचल अधिकारी, इटखोरी के पत्रांक–479, दिनांक–20.09.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद संख्या–290472 वर्ष–1987–88 एवं 1988–89, लगान रसीद संख्या–036188 वर्ष–1992–93, लगान रसीद संख्या–780368 वर्ष–1981–82 एवं 1982–83 3A पंजी में दर्ज नहीं है।

5. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त एवं अंचल अधिकारी, इटखोरी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त निम्न तथ्य पाये गये :–

i. उभय पक्षों द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का खतियानी रैयत मसोमात गेन्दिया देवी है प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा कर रहे है साथ ही उनके द्वारा बाताया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड के जामाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या– 7/1 पर जमाबंदी कायम है और लगान रसीद वर्ष–2000 तक निर्गत है। प्रथम पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्ष–2000 के बाद लगान रसीद क्यों नहीं निर्गत हुआ।

ii. द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड के कुल रकवा–2.92 ए0 में से रकवा–2.75 ए0 भूमि सादा केवाला के माध्यम से दिनांक–16.03.1960ई0 को खिरोधर महतो, वल्द थनु महतो को प्राप्त है तथा जमाबंदी कायम है। ऑनलाईन पंजी–2 एवं लगान रसीद के अवलोकन में पाया गया कि खतियानी रैयत गेन्दिया देवी के नाम के साथ खिरोधर महतो का नाम से पंजी–2 एवं लगान रसीद में कुल रकवा–2.92 ए0 दर्ज है जो कि संदेहात्मक है क्योंकि अगर द्वितीय पक्ष को केवाला के माध्यम से रकवा–2.75 ए0 भूमि प्राप्त हुआ था तो जमाबंदी अलग पंजी–2 में कायम होना चाहिए था।

iii. द्वितीय पक्ष के दावे के अनुसार वर्ष–1960 ई0 में प्रश्नगत भू–खण्ड प्राप्त था तो फिर इतने वर्षो के बाद वर्ष–2024 के बाद प्रथम पक्ष के द्वारा वाद लाना Limitation Act के प्रतिकूल है।

iv. द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे में इस न्यायालय में लगान रसीद प्रस्तुत किया गया था जिसकी जॉच अंचल अधिकारी, इटखोरी के कार्यालय में उपलब्ध 3A/3AA पंजी से कराया गया जिसमें अंचल अधिकारी, इटखोरी के पत्रांक–479, दिनांक–20.09.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद संख्या–290472 वर्ष–1987–88 एवं 1988–89, लगान रसीद संख्या–036188 वर्ष–1992–93, लगान रसीद संख्या–780368 वर्ष–1981–82 एवं 1982–83 3A पंजी में दर्ज नहीं है। इससे भी प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि उभय पक्षों के जमाबंदी चल रही थी।

Scanned with OKEN Scanner

v. प्रश्नगत भू–खण्ड का प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के कारण अपना दावा कर रहे है एवं द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत से प्राप्त केवाला के आधार पर दावा कर रहे है, परन्तु उभय पक्ष द्वारा संतोष जनक प्रमाण/राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्ष द्वारा समान पंजी–II उपलब्ध कराया गया जिसमें खतियानी रैयत गेन्दिया देवी, दोखतर, मदुछोविल वो सोबरन गोप, पिता–खुशी गोप एवं खिरोधर महतो, पिता–मोहित महतो के नाम से कुल रकवा–2.92 ए0 भूमि दर्ज है। प्रथम पक्ष को अपने दावे समर्थन में वर्ष–1960 के पूर्व का पंजी–II सिर्फ खतियानी रैयत के नाम से प्रस्तुत करना चाहिए था।

द्वितीय पक्ष के दावे के अनुसार प्रश्नगत भू–खण्ड केवाला के माध्यम से वर्ष–1960ई0 में खतियानी रैयत गेन्दिया देवी से 2.75 ए0 भूमि प्राप्त हुआ था तो फिर पंजी–II एवं लगान रसीद संयुक्त रूप से रकवा–2.92 ए0 भूमि का निर्गत होना संदेहात्मक है तथा इससे संबंधित कोई प्रमाण द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में मैं निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि प्रथम पक्ष का आवेदन Limitation Act के प्रतिकूल है एवं मामला हक–हकीयत एवं स्वमित्व का प्रतित होता है जिसका निर्णय इस न्यायालय में सम्भव नहीं है। प्रथम पक्ष का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/10/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

07/10/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.10.10 17:54:05 +05:30
Location: 10.93.203.98

Scanned with OKEN Scanner